

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

केशव सिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार

किरम मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:- 7 / 2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख

अहकाम की हुक्म

दस्तावेज की संख्या

दिनांक

12.01.2023

वकील डिक्रीदार श्री जे० पी० गूर्जर एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 10.02.2023 को पेश हो।

121
13-1-23

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
पत्रावली तारीख पेशों से गिरकर आज पेश हुई।

9.04.2024

वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में जारी निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 845 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खरीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

आनजोहन सिक्का

किमा गया।

आदेश की

पालना

न.सं. 545

दि. 10.3.23

द्वारा की गयी।

अनिल कुमार

उ.अ.

